(37)

(1)

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27-08-2019 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-5317/2018/विदिशा/भू.रा. विरूद्ध कलेक्टर विदिशा के पत्र क्रमांक क्यू. / रीडर / 2018 /G.B.N. 702 विदिशा दिनांक 18-07-2018 जिसके द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 54/अ-2/13-14 आदेश दिनांक 09-07-2014 के पुर्नाविलोकन की अनुमति चाही गयी है।

मध्यप्रदेश शासन .....आवेदक

विरूद्ध

नसीम खान पुत्र नजाव बली खान
निवासी- सिद्धार्थ नगर नरेला शकरी तहसील हुजूर
जिला भोपाल .....अनावेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 5317/2018/विदिशा/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/8/19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन याचिका कलेक्टर विदिशा के प्रस्ताव पर पंजीकृत की गई है । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक मोहम्मद नसीम खान पुत्र बली खान के कुरवाई में स्थित भूमि का व्यपवर्तन करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 9-7-2014 को आदेश पारित कर व्यपवर्तन की अनुमति दी तथा प्रीमियम तथा भू-भाटक का निर्धारण किया । इस आदेश को उन्होंने दिनांक 15-7-2014 को पुन: संशोधित कर आवासीय प्रयोजन के स्थान पर व्यावसायिक प्रयोजन लिखा गया । 2/ अनुविभागीय अधिकारी ने लेखा परीक्षण के आधार पर प्रकरण को पुन: संज्ञान में दिनांक 28-6-2016 को लिया । उन्होंने लेखा आक्षेप के अनुसार प्रीमियम तथा भू-भाटक को निर्धारित करने के लिये पुनर्विलोकन की अनुमति जिला कलेक्टर से चाही । जिला कलेक्टर ने दिनांक 19-1-2017 को पुनर्विलोकन की अनुमति जारी की । तदोपरांत दिनांक 31-1-2017 को अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई से ऑडिट आपत्ति के अनुसार प्रकरण में प्रीमियम तथा भू-भाटक पुन: निर्धारित कर दिया । 3/ मोहम्मद नसीम खॉन ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 2529/2017 दर्ज की । दिनांक 31-7-2017 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर जिला कलेक्टर का पुनर्विलोकन संबंधी आदेश दिनांक 19-1-2017 तथा उसके फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 31-1-2017 निरस्त कर दिया । 4/ जिला कलेक्टर ने अब इस प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति राजस्व मण्डल से चाही है । 5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया । मूल आदेश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिया गया था जिसमें सुधार करने के लिये पुनर्विलोकन की अनुमति जिला कलेक्टर के द्वारा ही दी जा सकती है न कि राजस्व मण्डल के द्वारा । 6/ म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51(1) के परन्तुक (एक) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला कलेक्टर की अनुमति से ही उसके स्वयं के द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है । पुनर्विलोकन की यह कार्यवाही संहिता की धारा 51(2) के अन्तर्गत उन्हीं आधारों पर हो सकती है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपबंधित है । प्रकरण के तथ्यों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चाही गई पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना विधिसम्मत नहीं होगा । जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन अनुमति देने के संबंध में अपने स्तर पर कार्यवाही करें । 27/8/19 (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष	